

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 87/2023

सीताराम तुरी -बनाम- रितलाल तुरी वगै०

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

14.11.2023

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
इसरी	0130	5	29	64 डि.

अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि मौजा: इसरी, थाना नं० 130, खाता नं० 5, प्लॉट नं० 29 रकबा: 64 डि. भूमि सर्वे खतियान अनुसार रैयति खाते की भूमि है। जिसका सर्वे खतियान करीम मियां के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा खुसकी केवाला दिनांक 24.04.1951 के माध्यम से दावा किया जा रहा है, जो कि उनके दादा बनू तुरी को प्राप्त है। ऑफलाईन पंजी -II के पृष्ठ सं. 204/VII पर उक्त भूमि का जमाबंदी दर्ज है। ऑनलाईन पंजी -II के निरीक्षण में पाया गया कि उक्त भूमि की जमाबंदी पृष्ठ सं. 16/1 पर बीबी मुंगिया, मथुरा प्रसाद वो अयोध्या प्रसाद, बनू तुरी के नाम से सम्मिलात जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का पुराना मकान बना हुआ है साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी प्लॉट पर नया मकान निर्मित किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें रितलाल तुरी एवं अन्य को उक्त खाता एवं प्लॉट में रकबा 32 डि० भूमि केवाला सं. 7906 दिनांक 23.06.1986 द्वारा प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी ऑफलाईन एवं ऑनलाईन पंजी -II के पृष्ठ सं. 164/VI पर दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष का भी मकान उक्त प्लॉट में निर्मित है एवं कुछ भाग पर वर्षों से फसल उगा रहे हैं। दोनों पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि एक ही भूमि के लिए दोनों पक्ष अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं उभय पक्षों का मकान भी उसी प्लॉट पर निर्मित है। बचे हुए भाग पर मकई का फसल लगाने के



 Certified Copy Issued

Sm

क्रम में यह विवाद उत्पन्न हुआ।

निर्गत नोटिस के आलोक में केवल प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित किया गया। जिसे अभिलेखबद्ध किया गया है। द्वितीय पक्ष इस वाद में सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे। जिसके कारण उनका पक्ष से न्यायालय अवगत नहीं हो सका।

----- विचारण एवं आदेश -----

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष को वादगत भूमि खुसकी केवाला दिनांक 24.04.1951 के माध्यम से बनू तुरी वल्द दीना तुरी को सहमली मियां वल्द लालमन मियां से प्राप्त है। जिसका लगान रसीद अद्यतन निर्गत है। उक्त भूमि का जमाबंदी सम्मिलात बीबी मुंगिया, मथुरा प्रसाद वो अयोध्या प्रसाद, बनू तुरी के नाम से दर्ज पाया गया है।

इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादगत भूमि रैयति खाते की भूमि है, जिसपर उभय पक्ष अलग-अलग राजस्व दस्तावेजों के माध्यम से दावा किया जा रहा है, जैसा कि विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन करने से प्रतीत हुआ। इस प्रकार यह मामला एक ही भूमि को दो पक्षों के द्वारा अलग-अलग दस्तावेजों के सहारे दावा करने के कारण उनके बीच स्वत्व(Title Suit) का प्रतीत है। जिसका निष्पादन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतएव इस वाद में कोई भी आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं होगा। इस मामले को सक्षम न्यायालय में दायर किया जा सकता है।

आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, डुमरी के प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराएँ तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।


Certified Copy Issued